संख्याः 1059 /श0वि0नि0–विविध–01(अके0/लेखा)2002

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1– मा0मेयर/अध्यक्ष
समस्त नगर निगम/
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
2– नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर नगर निगम,
नगर पालिका परिषसद,/नगर पंचायत,उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांक 23 नवम्बर15

विषयः– उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रियित)सेवा (बाईसवां संशोधन) नियमावाली–2015 पर आपत्ति एंव सूझावों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1588/iv(1)/2015 01 (22)/2014, दिनांक 18–11–2015 के माध्यम से निकायों में लेखा संवर्ग के पदों पर भर्ती/पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रियित)सेवा (बाईसवां संशोधन) नियमावाली–2015 का अनन्तिम आलेख्य अधिसूचना दिनांक 16–11–20.15 द्वारा अधिसूचित करते उक्त अधिसूचना वेवसाईड htt//go.uk.gov.in पर प्रदर्शित करते हुए उक्त अनन्तिम अधिसूचना पर आपत्ति एवं सूझाव 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– अतः शासन द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18–11–2015 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त प्रकाशित अनन्तिम अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से संलग्न प्रेषित की जा रही है कि उक्त अनन्तिम अधिसूचना को निकाय में कार्यरत कार्मिकों को परिचालित करते हुए उक्तानुसार प्राप्त आपत्तियां एवं सूझाव सीधे शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का करें। उपरोक्त अधिसूचना की प्रति ई–मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष गुप्ता)
उप निदेशक,
कृते–निदेशक।

संख्या एवं दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि–1– सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2– श्री चन्द्र प्रकाश रावत,एम0आई0एस0विशेषज्ञ, राजीव आवास योजना को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18–11–2015 के माध्यम से अधिसूचित उक्त विषयक अधिसूचना दिनांक 16–11–2015 की प्रति इस निर्देशा सहित प्रेषित कि उक्त को निदेशालय की वैवसाईड पर भी प्रदर्शित किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(सुभाष गुप्ता)
उप निदेशक,
कृते–निदेशक।

(2517)

19-11-15

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1,
संख्याः– /IV(1)/2015–01(22)/2014
देहरादूनः दिनांक 18 नवम्बर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

शासन की अधिसूचना संख्याः–1061/IV(1)/2015–01(22)/2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 द्वारा राज्य के नगर निकायों हेतु सृजित सहायक लेखाकार के पदों तथा लेखा संवर्ग के पदों पर भर्ती/पदोन्नति किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश (केन्द्रीयित) सेवा (बाईसवां संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रख्यापन से पूर्व संशोधित नियमावली पर आपत्तियॉ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु अनन्तिम आलेख एतद्द्वारा अधिसूचित किया गया है।

उक्त अनन्तिम अधिसूचना के आलेख पर केवल ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सचिव शहरी विकास विभाग, 04–सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड शासन को प्राप्त होंगे। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त अधिसूचना वेवसाईड **http://go.uk.gov.in** पर प्रदर्शित कर दी गई है।

संलग्नकः–यथोपरि।

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

संख्याः– 1588(1)/IV(1)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को वेवसाइट पर प्रदर्शित करते हुये उत्तराखण्ड की समस्त निकायों/कार्मिकों को अपने स्तर से अधिसचूना की प्रति उपलब्ध कराने तथा 15 दिनों के भीतर आपत्तियॉ एवं सूझाव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को तत्काल वेबसाइट पर शीघ्र प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मेयर/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तराखण्ड। (द्वारा शहरी विकास निदेशालय)।
4. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड (द्वारा शहरी विकास निदेशालय)।
5. नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

AD/SAO
To all ULBs to circulate all
20/11/15

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

UO LETTER NOV. 2015-16 NPBHATT

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1,
संख्याः–1061 /IV(1)/2015–01(22)/2014
देहरादूनः दिनांक 16 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन 1959) की धारा 112(क) और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) उत्तर प्रदेश अधिनियम स0 2, सन 1916 की धारा 69(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका(केन्द्रीयित), सेवा नियमावली, 1966) में संशोधन की दृष्टि से, सन 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540(2) और सन् 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 300(1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा अधिसूचना प्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हो, लिखित रूप में सचिव, शहरी विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किये जाने चाहिये। केवल ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर ही विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1959) की धारा 112 (क) और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 69(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका(केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966) में संशोधन की दृष्टि से, सन 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540(2) और सन् 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 300(क) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (बाईसवां संशोधन) नियमावली) 2015

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (बाईसवां संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में उसके प्रकाशन होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के उप नियम (19) का संशोधन 2 (1) मूल नियमावली के आगे नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 3 के उपनियम (19) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(19) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा (1) नगर निगमों के लेखाकार (2) श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार	3(19) स्तम्भ 2 द्वारा प्रतिस्थापित नियम उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा (1) नगर निगमों के लेखाकार (2) श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार (3) समस्त श्रेणी के नगर निकायों के सहायक लेखाकार
नियम 20 के उपनियम (1) का संशोधन **3**	मूल नियमावली के आगे नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 20 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–
स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
20(1) पदोन्नति– पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये अधिकारियों की एक पात्रता सूची उपनियम (2) में दी गई रीति से तैयार की जायेगी।	**20(1) पदोन्नति**– पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये अधिकारियों की एक पात्रता सूची उपनियम (2) में दी गई रीति से तैयार का जायेगी; परन्तु यह कि समस्त प्रकार के नगर निकायों के सहायक लेखाकार की 50 प्रतिशत पदोन्नतियां चयन समिति के माध्यम से पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पात्र एवं अर्ह लेखा लिपिकों में से राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, की जायेगी, और इस प्रयोजन के लिये एक पात्रता सूची उपनियम (2) में दी गई रीति से तैयार की जायेगी।
नियम 24(1) का संशोधन **4**	मूल नियमावली के आगे नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया

ADHISUCHANA ASSISTANT ACCOUNTANT 2015 NPBHATT

जायेगा अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
24(1) **ज्येष्ठता**–केन्द्रीयित सेवा में किसी पद में ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से निर्धारित की जायेगी, किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 19 और 20 के अधीन तैयार की गई सूची में उल्लिखित हों।	24(1) **ज्येष्ठता**–केन्द्रीयित सेवा में किसी पद में ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से निर्धारित की जायेगी, किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 19 और 20 के अधीन तैयार की गई सूची में उल्लिखित हों। परन्तु यह कि निकायों में सहायक लेखाकार के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग लेखा लिपिकों की (अकेन्द्रीयित सेवा) राज्यस्तरीय संयुक्त ज्येष्ठता सूची मौलिक नियुक्ति के दिनांक से निर्धारित की जायेगी, किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 19 और 20 के अधीन तैयार की गई सूची में उल्लिखित हों।

नियम 6 (भर्ती का स्रोत) के अन्तर्गत अनुसूची– एक, दो एवं तीन का संशोधन

5 (1) नियम की अनुसूची दो में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा के श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार तथा अनुसूची तीन में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लेखा (अधीनस्थ) सेवा के (एक) नगर निगमों के लेखाकार तथा (दो) श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार को उक्त अनुसूचियों से हटाते हुये समस्त श्रेणी के निकायों के लेखाकार पद को अनुसूची–एक में सम्मिलित समझा जायेगा।

(2) नगर निकायों के ढाँचे के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये केन्द्रीयित सेवा के सहायक लेखाकार के पद अनुसूची (तीन) के अन्तर्गत सम्मिलित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

ADHISUCHANA ASSISTANT ACCOUNTANT 2015 NPBHATT